जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 02-10-20**

थाना मसूरी पुलिस द्वारा आपरेशन खुशी के अन्तर्गत कार्यवाही कर 03 घन्टे के अन्दर ही गुमशुदा बच्ची जस्सी उम्र 11 वर्ष को बरामद किया गया -

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन खुशी के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दि0 01.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली, गुमशुदा को मात्र 03 घण्टे के अन्दर ही बरामद किया गया।

गुमशुदा की बरामदगी का विवरण – दिनांक 01.10.2020 को वादी श्री जौनी नि. दीनानाथपुर पूठी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01.10.2020 को समय 18.26 बजे थाना हाजा पर अपनी पुत्री जस्सी उम्र 11 वर्ष के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में तहरीर दी। थाना पर प्रभारी निरीक्षक थाना मसूरी द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 531/20 धारा 363 भादवि दर्ज कर चार टीमें बनाकर क्षेत्र में तलाश हेतु आपरेशन चलाया गया। सर्च आपरेशन के दौरान ही शंकर टैक्सटाईल कम्पनी के पास लगे ईटो के चट्टो पर सोती बच्ची जस्सी को समय करीब 21.30 बजे सकुशल बरामद किया गया तथा बच्ची के परिजनो के सुपुर्द किया गया। बच्ची को उसके माता पिता ने डाट दिया था, वह गुस्सा होकर चली गई थी। बरामद बच्ची के बाद गांव व घर परिवार वालो में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस के प्रति जनता में विश्वास की भावना बढ़ी।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थो तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना

विजयनगर पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 01/10/20 को चेकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त अजय सिंह को **1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा** के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- अजय सिंह पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह नि0 88ए माधोपुरा थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1288/20 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1- 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज

<u>मु0अ0सं0 382/20 धारा 354क/504/506/120बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2) w एससी/एसटी एक्ट मे वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार</u>- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर छेडखानी के वाँछित तीन अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

दिनाँक 29.9.2020 को वादिया श्रीमति मिथलेश पत्नी क्श्री दुर्गेश चन्द निवासी जी-50 पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद द्वारा खुद की पुत्री कु0 पूजा उम्र 15 वर्ष के साथ छेडखानी,मारपीट व जान से मारने के सम्बन्ध मे अभि0गणो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। जिसके परिपेक्ष मे आज दि0 01.10.2020 को थाना हाजा पुलिस द्वारा अभि0गण को इनके मस्कन पंचशील कॉलोनी मे समय करीब 21.32 से 21.45 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। जिसके सम्बंध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 382/20 धारा 354क/504/506/120बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2) w एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1. अमित पुत्र रमेश निवासी म0न0 52 पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

2. सुमित पुत्र रमेश निवासी म0न0 52 पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद
3. टीटू उर्फ विवेक दूबे पुत्र नन्द किशोर दूबे नि0 म0न0 49 पंचशील कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. मु0अ0स0 382/20 धारा 354क/504/506/120बी भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2) w एससी/एसटी एक्ट

हत्या की योजना में शामिल वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के नेतृत्व में अपराध एवं वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा लोनी क्षेत्र के चिरौड़ी मार्केट में दिनांक 20.08.2020 को हलवाई मनोज कुमार की हत्या की योजना में शामिल जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 558/20 धारा 302/120बी भादवि में वाँछित अभियुक्त मनीष पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खडखड़ी थाना लोनी गा0बाद को दिनांक 02.10.2020 समय 12.45 बजे लोनी रेलवे स्टेशन लोनी से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गणः-

मनीष पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खडखड़ी थाना लोनी गा0बाद

अभि0 मनीष पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खरखडी थाना लोनी गाबाद0 के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरणः-

मु0अ0सं0 558/20 धारा 558/20 धारा 302/120बी भादवि थाना लोनी गा0बाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा दहेज हत्या की घटना के दो वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि थाना लोनी क्षेत्र के चिरौड़ी में दिनांक 28.09.2019 को दहेज हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी पर मु0अ0सं0 811/2020 धारा 498 ए/304बी/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में आज इस अभियुक्त को लोनी पुलिस व क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा दहेज हत्या की घटना के आरोपी 1.आरिफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी गा0बाद 2.सलीम पुत्र मुसहाब निवासी उपरोक्त को बन्थला फ्लाईओवर के नीचे आटो स्टेण्ड के पास से मुखबिर की सूचना पर उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब यह दोनो अभियुक्तगण कही जाने की फिराक में बन्थला फ्लाईओवर के नीचे आटो स्टेण्ड के पास खड़े थे। दोनो अभियुक्तगणों को आज दिनांक 02.10.2020 समय 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

1. आरिफ पुत्र सलीम निवासी ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी गा0बाद
2. सलीम पुत्र मुसहाब निवासी उपरोक्त

आपराधिक विवरणः-

मु0अ0सं0 498ए/304बी/323/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 385/20 धारा 354क/354घ/506 भादवि मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर छेडखानी के वाँछित तीन अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की ।

दिनाँक 01.10.2020 को वादिया/पिडिता नेहा पुत्री रणवीर नि0 एफ ब्लाक 227 गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 385/20 धारा 354क/354घ/506 भादवि वावत स्वंय के साथ छेडखानी व जान से मारने के सम्बन्ध मे अभि0 कासिम पासा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। जिसके परिपेक्ष मे आज दि0 02.10.2020 को थाना हाजा पुलिस द्वारा अभि0 को पसौण्डा पुलिया से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कासिम पासा पुत्र शरीफ पासा नि0 डी-33 साई मन्दिर के पास गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष मूल निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना असमोली जिला सम्भल

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0स0 85/20 धारा 354क/354घ/506 भादवि

थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रेम नगर में दिनांक 10.09.2020 को घटित सनसनी खेज हत्या के मुख्य वाँछित दो शातिर अपराधी मय घटना में प्रयुक्त 02 अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर सहित गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या दिनांक 10.09.20 को घटित सनसनी खेज हत्या के मुख्य वाँछित दो शातिर अपराधी 1.साजिद उर्फ डोबरा पुत्र वहाबु उर्फ बाबूद्दीन नि0गरिमा गार्डन दयाराम मार्केट के पास थाना टीला मोड गाजियाबाद पूर्व पता मरकरी चौक के पास कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद

2.टिल्लू उर्फ मुस्तकीम पुत्र अख्तर नि0 गली नं0 6 राशिद नगर प्रेमनगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद

को नसबन्दी तिराहा बलराम नगर से आज दिनांक 02.10.2020 समय 10.40 बजे सम्बन्धित मु0अ0सं0 0756/20 धारा 302/506/120बी भादवि को घटना में प्रयुक्त दो अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर मय 04 कारतूस जिन्दा .32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पूर्वी दिल्ली के छेमू गैंग के शातिर अपराधी है।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त गण ने बताया एक स्वर में बताया कि साहब दिनांक 10.09.2020 को हम लोगों ने गोलू जो दिल्ली मंडोली जेल में बन्द है के कहने पर पूर्व में हुई गोलू व सोनू से चाकू

बाजी के सम्बन्ध में चल रही रंजिश के कारण योजना के अनुसार सोनू उर्फ आसिफ पुत्र रफीक मलिक की इन्ही पिस्टलों से गोली चलाकर हत्या कर दी थी तथा मौके से हम लोग अपनी अपनी पिस्टल लेकर भाग गये थे।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त साजिद पुत्र वहाबु उर्फ बहाबुद्दीन ने बताया कि हमारा भाई गोलू जो मंडोली दिल्ली जेल में बन्द है उससे सोनू उर्फ आसिफ की दुश्मनी चल रही थी, जिसको लेकर हम गोलू से मिलने दिल्ली जेल में जाते थे उसी दौरान मेरे साथ टिल्लू भी जाता था तो गोलू ने हम लोगों से सोनू को निबटाने की बात कही थी जिसको लेकर हम लोग मौके की तलाश में थे और दिनांक 10.09.2020 को शाम के करीब 08.30 बजे प्रेम नगर में सोनू उर्फ आसिफ मिल गया जिसकी हम लोगों ने पिस्टल से गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। हत्या करते समय मेरी माँ और मेरे पिता वहाबु उर्फ बहाबुद्दीन ने भी मदद की थी।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण-

1.साजिद उर्फ डोबरा पुत्र वहाबु उर्फ बाबूद्दीन नि0गरिमा गार्डन दयाराम मार्केट के पास थाना टीला मोड गाजियाबाद पूर्व पता मरकरी चौक के पास कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद।

2.टिल्लू उर्फ मुस्तकीम पुत्र अख्तर नि0 गली नं0 6 राशिद नगर प्रेमनगर कस्बा व थाना लोनी गाजियाबाद।

अभियुक्त साजिद उर्फ डोबरा के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरणः-

1- **मु0अ0सं0-756/2020 धारा 302/506/120बी भादवि थाना लोनी गा0बाद**
2- **मु0अ0सं0 815/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद**
3- **मु0अ0सं0 683/2020 धारा 507 भादवि थाना लोनी गा0बाद**

अभियुक्त टिल्लू उर्फ मुस्तकीम के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरणः-

1- **मु0अ0सं0-756/2020 धारा 302/506/120बी भादवि थाना लोनी गा0बाद**
2- **मु0अ0सं0 816/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद**
3- **मु0अ0सं0 1160/2019 धारा 147/148/149/186/188/332/353/341 भादवि व 7क्रि0ला0 एक्ट**
4- **मु0अ0सं0 308/2016 धारा 13 जुआ अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद**
5- **मु0अ0सं0 856/17 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुरी दिल्ली**
6- **मु0अ0सं0 50/2017 धारा 393/34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुरी दिल्ली**
7- **मु0अ0सं0 239/2017 धारा 392/394/34 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली**

बरामदगी का विवरणः-

मु0अ0सं0 756/2020 धारा 302/506/120बी भादवि की घटना में प्रयुक्त दो अदद पिस्टल नाजायाज 32 बोर मय 04 कारतूस जिन्दा 32 बोर

सट्टे की खाई वाड़ी करते हुये एक नफर अभियुक्त 04 सट्टा पर्ची, एक पैन व एक तफ्ती(गत्ता) व 1170/- रुपये नकद सहित गिरफ्तार

कार्यवाहीः-श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे आप्रेशन ABC के दौरान कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री रामानन्द कुशवाह के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री महिपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री जसवन्त सिंह द्वारा एक नफर अभियुक्त कासिम पुत्र शोएब नि0 ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद को सट्टे की खाई वाड़ी करते हुये मय 04 सट्टा पर्ची, एक पैन व एक तफ्ती व 1170/- रुपये नकद सहित ग्राम ढबारसी में खजूर वाली मस्जिद के पास से समय करीब 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीकाः- अभियुक्त कासिम पुत्र शोएब नि0 ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद ग्राम ढबारसी में सट्टे की खाईबाड़ी करता है। दिनांक 01.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर सट्टे की खाई वाड़ी करते हुये। मय 04 सट्टा पर्ची, एक पैन व एक तफ्ती व 1170/- रुपये नकद सहित ग्राम ढबारसी में खजूर वाली मस्जिद के पास से समय करीब 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 534/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्तः-

अभियुक्त कासिम पुत्र शोएब नि0 ग्राम ढबारसी थाना मसूरी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

04 सट्टा पर्ची व एक पैन, एक तफ्ती व 1170/- रुपये नकद

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0 534/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली एक अभियुक्ता गिरफ्तार कब्जे से 150 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर बरामद -

कार्यवाहीः- श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन मे मादक पदार्थ की तस्करी करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुऐ

दिनांक 02.10.2020 को चैकिग के दौरान सह बिस्वा स्कूल के पास से समय करीब 12.24 बजे अभियुक्ता रेशमा पत्नी मेहताब नि0 नाले के पास नूरगंज थाना मुरादनगर गाजियाबाद को 150 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि साहब यह एल्प्राजोलम का नशीला पाउडर जिसे मैं चाय आदि में मिलाकर राह चलते आदमी को पिलाकर बेहोश कर लूट लेती हूँ।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता –
रेशमा पत्नी मेहताब नि0 नाले के पास नूरगंज थाना मुरादनगर गाजियाबाद

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त रेशमा-</u>

1. मु0अ0सं0 176/18 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
2. मु0अ0सं0 697/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

बरामदगी
150 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर

<u>थाना कविनगर पुलिस एवं क्राईम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.09.2020 को अवंतिका में घर में घुसकर चार पाँच अज्ञात बदमाशो द्वारा की गयी सनसनीखेज घटना का अनावरण करते हुए दो अन्तर्राजीय अपराधी गिरफ्तार</u>

दिनाँक 23.09.20 को हुई अवंतिका कालौनी थाना कविनगर क्षेत्र मे हुई लूट के सम्बन्ध मे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के अनावरण हेतु 05 टीमो का गठन किया गया जिसमे सभी टीमो द्वारा साक्ष्य संकलन एंव तकनीकी तथा सुरागरसी के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कविनगर एंव प्रभारी क्राईम ब्राँच गा0बाद के कुशल निर्देशन में दिनांक 02.10.20 को समय 3.00 AM बजे रेलवे क्रांसिग अवंतिका के पास से डकैती की योजना बनाते समय थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तो को गिरफ्तार

किया गया गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस व चाकू तथा डकैती की घटना में प्रयुक्त लोहे की रौड एक कटर लोहे का ताला तोड़ने वाला सरिया एवं एक पेचकस तथा एक मोटर साईकिल चोरी की एवं घटना से सम्बन्धित नकद रूपये व ज्वैलरी तथा अन्य सामान आदि बरामद किये गये।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

1. यह लोग अपराध रेलवे ट्रेक के किनारे पाश कालोनियो में करते थे

2. इनके द्वारा रोड व सरिया ,पेचकस का प्रयोग किया जाता था तथा पिस्टल व तमंचा भी रखते है जिसका प्रयोग डराने व धमकाने के लिये करते थे

रात्रि मे विगत कुछ दिनो से पुलिस अधीक्षक नगर को इस गैंग की सक्रियता एवं गाजियाबाद में मौजूदगी की सूचना मिली सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा विशेषतः कविनगर क्षेत्र में सभी पुलिस अधिकारियो एवं कर्मचारियो को विशेष टास्क देते हुए योजनाबध्द तरीके से रेलवे ट्रेक पर विशेष निगरानी एवं अपराध की रोकथाम तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 02.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक कविनगर के नेतृत्व में रेलवे क्रांसिग अवंतिका के पास समय करीब 3.00 बजे 04-05 संधिग्ध व्यक्तियो द्वारा डकैती की योजना बनाने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया एवं तीन व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

गिरफ्तार अभियुक्त सुमन उर्फ अब्बल ने बताया कि इससे पूर्व मैंने अपने अन्य बांगलादेशी साथियो के साथ मिलकर दिल्ली,नोयडा,गाजियाबाद में चोरी व डकैती की घटनाओ को कारित

किया घटना करने से पूर्व हम लोग सुनसान जगह एवं अगल बगल में खाली पड़े प्लाट तथा रेलवे लाईन एवं नजदीकी हाईवे के आस पास घटना कारित करते है हमने अपने अन्य तीन साथियो के साथ मिलकर दिनांक 22/23.09.2020 की रात्रि को करीब 02 के आस पास अवंतिका कालोनी में रेलव ट्रेक के पास घर में घुसकर घर में मिले तीन सदस्यो को बंधक बनाकर लूटपाट की थी जिसमें कैश रूपये व ज्वैलरी न बताने पर घर के सदस्यो के साथ मारपीट भी की थी।लूटपाट के बाद हम लोग रेलवे ट्रेक को पार करके हाईवे पर खड़ी गाड़ी से भाग गये थे। इस घटना के दौरान हम लोग एक घण्टें से अधिक रूके थे तथा घर से मिले कैश रूपये तथा ज्वैलरी एवं मोबाईल व चैक बुक ,आधार कार्ड,वोटर आईडी व अन्य सामान ले गये थे।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1- मोहम्मद सुमन उर्फ अब्बल पुत्र मोहम्मद अली निवासी झुग्गी झोपड़ी शास्त्री पार्क दिल्ली मूल पता -एशिया भाट पारा थाना कठुआ जिला वर्दमान कोलकाता

2- खुर्शीद पुत्र आलम निवासी मं0नं0 288 घड़ौली गांव निकट सितारा मस्जिद मयूर विहार फेस तृतीय जीडी कालोनी दिल्ली मूल पता ग्राम बबनटोली थाना मुरौल जिला वैशाली बिहार

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

1.चार अंगूठी एक चैन पीली धातु

2.नकद 21500 रूपये

3.एक बैंक चैक बुक मोहित मित्तल

4.दो आधार कार्ड

5.एक लोहे की रौड व 01 पेंचकस तथा ताला तोड़ने के उपरकरण मय पिठ्ठू बैग

6.एक मोटर साईकिल स्पेलेण्डर नं0 UP14CB-8463

7.एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस व एक चाकू

<u>आपराधिक इतिहास -सुमन उर्फ अब्बल</u>

1.मु0अ0सं0 171/08धारा 380/454 भादवि थाना सरिता विहार दिल्ली ।
2.मु0अ0सं0 185/08धारा 380/454 भादवि थाना सरिता विहार दिल्ली
3.मु0अ0सं0 193/08धारा 380/454 भादवि थाना सरिता विहार दिल्ली ।
4.मु0अ0सं0 199/08धारा 380/454 भादवि थाना सरिता विहार दिल्ली ।
5. मु0अ0सं0 202/08धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना सरिता विहार दिल्ली ।
6. मु0अ0सं0 211/18 धारा 25/54/59 शस्त्र अधि0 थाना गीता कालोनी दिल्ली
7.मु0अ0सं0 901/17 धारा 380/454/411/34 भादवि थाना गीता कालोनी दिल्ली
8.मु0अ0सं0 165/09 धारा 399/402 भादवि व 25 शस्त्र अधि0 थाना लोधी रोड दिल्ली
9.मु0अ0स0 139/09 धारा 380/411/34 भादवि थाना लोधी रोड दिल्ली
10.मु0अ0स0 62/09 धारा 380/454/411/34 भादवि थाना लोधी रोड दिल्ली
11.मु0अ0सं0 88/10 धारा 25/54/59 शस्त्र अधि0 थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली
12.मु0अ0सं0 06/10 धारा 380/454/411/34 भादवि थाना थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली
13.मु0अ0सं0 190/18 धारा 380/411 भादवि थाना गीता कालोनी दिल्ली
14.मु0अ0सं0 22012/18 धारा 379/411 भादवि थाना जगतपुरी दिल्ली
15.मु0अ0सं0 1376/20 धारा 399/401/482 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
16.मु0अ0सं0 1378/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
17.मु0अ0सं0 1324/20 धारा 395/397/412 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास -खुर्शीद

1- मु0अ0सं0 1376/20 धारा 399/401/482 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
2- मु0अ0सं0 1377/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
3- मु0अ0सं0 1324/20 धारा 395/397/412 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद